IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सिंधी प्रिंट मीडिया की यात्रा एवं चुनौतियां; सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषण

प्रकाश तेजवानी

शोधार्थी (सिंधी)

म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)

सारांश: दुनिया में सिंधी भाषा बोलने वालों की संख्या 3.7 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिंध से विस्थापित होकर आए लाखों सिंधी परिवार आकर बसे। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में सिंधी भाषी नागरिकों की जनसंख्या 27,72,264 है। 27 लाख से अधिक की इस आबादी में इस समय सिंधी प्रिंट मीडिया अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस शोध पत्र में पारंपरिक सिंधी प्रिंट मीडिया की पूरी यात्रा एवं उसकी चुनौतियों को सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही यह लेख आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन प्रयासों और नीतियों की ओर संकेत करता है जो वर्तमान समय में सिंधी प्रिंट मीडिया को सुदृढ़ करने तथा इसे भविष्य के लिए तैयार करने में स्थायी और प्रभावी दिशा प्रदान कर सकते हैं।

बीज शब्दः सिंधी मीडिया, सिंधी भाषा, सिंधी पत्रकारिता.

दुनिया में सिंधी भाषा बोलने वालों की संख्या 3.7 करोड़ के आसपास है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाकिस्तान में निवास करती है। भारत इस संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ विभाजन के पश्चात बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग आकर बसे। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान सिंध से विस्थापित होकर आए लाखों सिंधी परिवार भारत के विभिन्न राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बस गए। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में सिंधी भाषी नागरिकों की जनसंख्या 27,72,264 है। [1] 27 लाख से अधिक की इस आबादी में इस समय सिंधी प्रिंट मीडिया अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पारंपरिक सिंधी प्रिंट मीडिया की पूरी यात्रा एवं उसकी चुनौतियों को सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है।

भाषा-वैज्ञानिक मत है कि ईरानी "स" का उच्चारण बदलकर "ह" करते हैं। इससे सिन्धु का हुआ हिन्दु। यूरोप के लोगों का "ह" का उच्चारण "इ" होने की वजह से हिन्दू हुआ इन्दू, यही नाम आगे चलकर "इण्डस" हुआ और वहां से यह लैटिन भाषा के असर से होता हुआ इण्डिया तक पहुंचा। अतः वह मूल शब्द सिन्धू इस प्रकार इण्डिया बना-

सिन्धू - हिन्दू - इण्डस – इण्डिया [2]

इस प्रकार सिंधू से हिंदू एवं इंडस से इंडिया तक के सफर में सिंधी भाषा विभिन्न कालखंडों में इस देश की विकास यात्रा की साक्षी रही है। इसने वैदिक काल से इस्लामी ताकतों के आने तक अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलावों को होते देखा। वह भी समय आया जहां एक ओर उपनिवेशवाद की चुनौतियाँ थीं, तो दूसरी ओर भाषा और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने का संघर्ष। इसी काल में भारतीय उपमहाद्वीप में पत्रकारिता ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं। भारत में प्रथम समाचार पत्र जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी (James Augustus Hicky) नाम के एक आयरिश नागरिक ने "बंगाल गजट" के नाम से निकाला था। यह अख़बार अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुआ और ब्रिटिश भारत में पत्रकारिता की नींव रखने का श्रेय इसे दिया जाता है।

यदि हम सिंध क्षेत्र की बात करें, तो वहां मुद्रण यंत्रों (Printing Presses) की स्थापना और समाचार पत्रों के प्रकाशन की शुरुआत अंग्रेज़ो द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही हुई। 1843 में जब ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर ने सिंध को ब्रिटिश शासन के अधीन किया, तब वहां प्रशासनिक कार्य में सुविधा हेतु संचार के आधुनिक साधनों का विकास प्रारंभ हुआ। 1844 ई. में “एडवाइज़र” नाम की पहली अंग्रेज़ी मैगज़ीन शुरू हुई, जिसका एडिटर नेपियर था। यह मैगज़ीन लगातार 8 वर्ष चली।[3] इसी दौरान, छापेखानों की स्थापना के साथ सिंध में मुद्रित सामग्री का भी प्रकाशन शुरू हुआ।

सिंधी प्रिंट मीडिया एवं उसके इतिहास के अध्ययन पर केंद्रित अपने अनुसंधान में जो सर्वाधिक प्रशंसनीय और उल्लेखनीय अध्ययन मुझे प्राप्त हुआ वह था डॉ. अज़ीज़ उर रहमान का शोध। उन्होनें 1988 में सिंध यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में PhD के अपने शोध कार्य ‘सिंधी सहाफ़त जी तारीख़ ऐं इर्तिका’ (Evolution and History of Sindhi Journalism) में 1858 से लेकर 1980 तक की पत्रकारीता पर बड़ी गहताई से प्रकाश डाला है। इसमें बहुत से दूसरे शोध एवं पत्र पत्रिकाओं के लेखों का भी संदर्भ मिलता है। पेशे से स्वयं एक पत्रकार होने के नाते उनके इस शोध की बारीकियां प्रशंसनीय हैं। डॉ. अज़ीज़ उर रहमान ने सिंधी प्रिंट मीडिया एवं उसके विकास-क्रम के अध्यन को तीन मुख्य काल खंडो में इस प्रकार वर्गीकृत किया है-

1. 1858 - 1910 तक
2. 1910 - 1947 तक
3. 1947 पश्चात् (अर्थात स्वातंत्र्योत्तर काल)

यह उल्लेखनीय है कि उनका अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से पाकिस्तान तक सीमित था, अतः स्वतंत्रता के बाद भारत में सिंधी प्रिंट मीडिया की यात्रा से संबंधित अधिक जानकारी उनके शोध-ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। अपने अंतिम अध्याय में, उन्होंने भारत में प्रकाशित तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं की मात्र एक सूची प्रदान की है।

यहां, इस प्रस्तुत लेख में विषय की संक्षिप्तता और प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए, इसकी 167 वर्षों की यात्रा एवं इस दौरान आई चुनौतियों का व्यापक और क्रमबद्ध विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस विश्लेषण को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है—पहला, स्वतंत्रता से पूर्व का काल, जो प्रिंट मीडिया की शुरूआत से अंग्रेज़ो के जाने तक उसके विकास का विश्लेषण करता है, तथा दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात का काल, जो विभाजन के बाद हुए सामजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सिंधी प्रिंट मीडिया-

सिंधी पत्रकारिता का प्रारंभिक स्वरूप मुख्यतः ब्रिटिश प्रशासन द्वारा जारी सरकारी प्रकाशनों तक सीमित था। धीरे-धीरे स्थानीय स्तर पर भी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों को स्थान मिलने लगा। यह न केवल सिंध क्षेत्र में मुद्रण क्रांति की शुरुआत थी, बल्कि सिंधी भाषा और समाज के भीतर जागरूकता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। सिंधी भाषा में कराची से 15 मई 1858 को "फ़वाइद-उल-अख़बार" नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई।[4] यह प्रकाशन द्विभाषी स्वरूप में था, जिसमें सामग्री सिंधी और फ़ारसी, दोनों भाषाओं में प्रस्तुत की गई थी। इस कारण इसे पूर्णतः सिंधी की प्रथम पत्रिका नहीं माना जा सकता। प्रथम सिंधी समाचार पत्र "सिंध सुधार" नाम से 1866 में तत्कालीन सिंध सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया था। यह समाचार पत्र प्रति माह दो बार प्रकाशित होता था और इसमें सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों एवं नीतिगत घोषणाओं के साथ-साथ स्थानीय जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी स्थान पाती थीं। 1884 में इस अख़बार की जिम्मेदारी सिंधू सभा ने अपने कंधो पर ली और साधु हीरानंद इसके एडिटर बने।

साधु हीरानंद एवं दयाराम गिदवानी द्वारा पहली सिंधी मैगज़ीन "सरस्वती" की शुरुआत की गई, जिसमें उस समय के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाता था। यह मैगज़ीन समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन, सामाजिक सुधारों की आवश्यकता और जनजागृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित थी। इसने सामाजिक मुद्दों को विवेचित किया और साथ ही साहित्य के प्रसार को भी बढ़ावा दिया, जिससे जनमानस में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। इसके माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों और विचारकों ने अपने लेखन की यात्रा प्रारंभ की, जिससे नवीन साहित्यिक अभिव्यक्ति को एक नई दिशा मिली। यह पत्रिका साहित्य और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करते हुए लोकचेतना को जागृत करने का महत्वपूर्ण साधन बनी।

1910 में श्री टेकचंद गोकलाणी द्वारा पहली बिजनेस मैगज़ीन की शुरुआत शिकारपुर से की गई।[5] यह अपनी तरह की पहली पत्रिका थी, जो पूरी तरह से व्यापारिक समाचारों और विश्लेषण पर केंद्रित थी। ऐसा माना जाता है कि सिंध का हिंदू समाज व्यापार में अधिक संलग्न था और सदियों से विभिन्न देशों में अपने व्यावसायिक संबंध स्थापित किए हुए था। इसी समृद्ध व्यापारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इस पत्रिका की शुरुआत की गई, जिससे व्यापारिक समुदाय को नई आर्थिक जानकारियाँ और व्यावसायिक दिशा-निर्देश मिल सकें।

आज़ादी से पूर्व सिंध प्रांत में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाने वाला पहला अख़बार "हिंदू" था।, इसकी स्थापना नवंबर 1916 में लोकराम शर्मा तथा महाराज विष्णु शर्मा जी द्वारा की गई।[6] जो अगले वर्ष 1917 में ही रोज़ाना छपने लगा। 1947 तक यह "हिंदुस्तान" (इसके परिवर्तित नाम) के साथ निरंतर कराची से प्रकाशित होता रहा। यह केवल समाचार पत्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिंध प्रांत की राजनीतिक चेतना का प्रतिबिंब था। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि बिना "हिंदू" का अध्ययन किए सिंध प्रांत के स्वतंत्रता संग्राम की संपूर्ण तस्वीर नहीं समझी जा सकती।

स्वतंत्रता से पूर्व सिंधी प्रिंट मीडिया की मुख्य चुनौतियां-

1. आधिकारिक भाषा- 1843 में अंग्रेज़ो ने सिंध पर कब्ज़ा स्थापित किया। अंग्रेज़ो के आने के बाद, एक दशक तक सरकारी कारोबार की भाषा फ़ारसी थी।[7] फ़ारसी का उपयोग मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों, राजकीय अभिलेखों और न्यायालयों में किया जाता था, जबकि आमजन अपनी स्थानीय भाषा मुख्यतः सिंधी और अन्य क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करते थे। अंग्रेज़ो ने प्रशासनिक सुगमता और संचार की सुविधा के लिए सिंधी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया। अंग्रेज़ो के आगमन से पहले, सिंधी भाषा की वर्तनी, व्याकरण और शब्दावली के मानकीकरण को लेकर कोई औपचारिक या व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए थे। भाषा मुख्यतः मौखिक परंपरा के माध्यम से ही चली आ रही थी, और लिखित रूप में इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का पाया जाता था।

इस कारण प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों में एकरूपता की कमी बनी रही। जिसका प्रभाव हमें प्रारंभिक सिंधी पत्रकारिता पर भी मिलता है। अपने शुरुआती समय में ही सिंधी प्रिंट मीडिया को सर्वप्रथम इस चुनौती का सामना करना पड़ा होगा।

2. लिपि- सिंध प्रांत में अंग्रेज़ों के आने तक सिंधी भाषा अनेक लिपियों में लिखी जा रही थी जैसे- देवनागरी, अरबी-फ़ारसी, गुरुमुखी आदि। ऐसे में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी दुसरी चुनौती लिपि को लेकर दिखाई देती है। यद्यपि जुलाई 1853 में अंग्रेज़ सरकार ने लिपि के प्रश्न को हल करने के लिए तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर बी.एच. एलिस की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन किया। इसमें अध्यक्ष के अलावा चार हिंदू सदस्य तथा चार मुस्लिम सदस्य शामिल थे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सिंधी भाषा की उपयुक्त लिपि का चयन करना और उसे मानकीकृत स्वरूप प्रदान करना था। हालांकि, उस समय भी इस समिति और इसके सुझावों को लेकर विभिन्न मतभेद मौजूद थे। भारतिय भाषाओं के विद्वान अर्नेस्ट ट्रम्प ने भी इस नई अरबी-फ़ारसी लिपि पर ऐतराज़ दिखाते हुए कहा था "जो नई वर्णमाला सिंधी के लिए मुकरर की गई है, उसमें अक्षरों पर बिंदु लगाने में कोई सिद्धांत नज़र नहीं आता।"[8]

3. अल्प साक्षरता एवं साक्षरता में असमानता- ब्रिटिश शासन के दौरान सिंध में शिक्षा और साक्षरता के स्तर में कमी के साथ ही व्यापक असमानता देखी गई, जो एक ख़ास सामाजिक संरचना की ओर संकेत करती है। विशेष रूप से, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में साक्षरता दर अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज में यह दर अपेक्षाकृत कम रही। यह असमानता ज्ञान और सूचना के प्रसार पर भी प्रभाव डालती थी। साक्षरता दर का सीधा संबंध प्रिंट मीडिया के विस्तार और प्रभाव से रहा है, क्योंकि पढ़ने-लिखने की क्षमता ही पत्र-पत्रिकाओं की पहुंच और उनके पाठक वर्ग के विस्तार को निर्धारित करती है। सिंध में अल्पसंख्यक समुदाय में अख़बारों और पत्रिकाओं की लोकप्रियता अधिक रही, जबकि बहुसंख्यक वर्ग में इनका प्रभाव सीमित बना रहा। यह कारक प्रिंट मीडिया के विकास और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में तीसरा प्रमुख कारण प्रतीत होता है।

4. औपनिवेशिक दमनकारी नीति- औपनिवेशिक दमनकारी नीतियों ने भारतीय समाज को कई स्तरों पर प्रभावित किया। प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए प्रेस पर कठोर प्रतिबंध जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट-1878 तथा भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910 आदि लगाए। सिंधी भाषा में हो रही पत्रकारिता ने भी अन्य भाषाओं के भांति इस चुनौती का सामना किया। उस समय स्वामी गोविंदानंद, आचार्य कृपलाणी, डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी, भाई सच्चानंद जैसे राष्टवादियों ने सिंधी प्रिंट मीडिया को राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रभावी माध्यम बनाने का प्रयास भी किया। विशेष रूप "हिन्दू' अख़बार के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ी हुकूमत की दमनकारी नीतियों का अंदाज़ा इस तथ्य से स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है कि 1920-1921 के बीच असहयोग आंदोलन के दौरान 'सरकार विरोधी लेखों के कारण हिंदू के लगातार आठ संपादकों को गिरफ्तार किया गया था। विष्णु शर्मा को तीन साल जयरामदास दौलतराम और प्रो. घनश्याम शिवदासाणी को दो-दो साल डॉक्टर चोइथराम गिदवणी एवं लोकूराम शर्मा को डेढ़ साल, चोइथराम बलेछा और हीरानंद करमचंद को एक-एक साल की सजा दी गई थी।'[9] यह तथ्य उस समय प्रिंट मीडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है एवं उसके साथ ही राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार में प्रेस की प्रभावशील भूमिका को रोकने के लिए अंग्रेज़ो की दमनकारी नीति को भी रेखांकित करता है।

स्वतंत्रोत्तर भारत में सिंधी प्रिंट मीडिया-

आज़ादी अपने साथ विभाजन का बड़ा दर्द भी लेकर आई। जहां पंजाब एवं बंगाल दोनों देशों में विभाजित कर दिए गए वहीं एकमात्र सिंध ऐसा प्रांत था जिसे पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसी स्थिति में धर्म के आधार पर निर्मित नव राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपना प्रांत छोड़कर भारत के अन्य प्रांतों की ओर आना पड़ा। सिंधी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री कृष्ण राही जी ने मातृभूमि के लिए अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा था- "वतन के लिए जान की क़ुर्बानी भी कम है, पर सिंधीयों ने जान नहीं वतन ही क़ुर्बान कर दिया।"

भारत सरकार उस समय विभाजन के कारण विस्थापित हुए दस लाख से अधिक नागरिकों के पुनर्वास के लिए तत्काल उपयुक्त स्थान या क्षेत्र की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो सकी। विभाजन के बाद अचानक आए इस विशाल जनसमूह के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। प्रशासनिक और आर्थिक सीमाओं के साथ ही सरकार को अस्थायी शिविरों और राहत केंद्रों की स्थापना करनी पड़ी, जहां शरणार्थियों को प्रारंभिक सहायता प्रदान की गई। जीवन निर्वाह के बुनियादी प्रश्न हर रोज़ नए रूप में सिंधी समाज के सामने थे। इन परिस्थितियों में यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि स्वतंत्रता के बाद विस्थापित समुदाय के सामने उसकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न प्राथमिक नहीं रहा होगा, बल्कि उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष रोज़गार एवं आजीविका को सुनिश्चित करने का था। ऐसे माहौल में, सिंधी प्रिंट मीडिया को भी अपने अस्तित्व की नई राह तलाशनी पड़ी।

भारत के विभिन्न हिस्सों में विस्थापित सिंधी समाज अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु अनेक उपाय कर रहा था, उसमें प्रिंट मीडिया का अहम स्थान रहा। किसी विशेष भाषा में की जाने वाली पत्रकारिता महज़ समाचारों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर साहित्य और संस्कृति के साथ ही समाज के विभिन्न पहलुओं को भी समाहित किए रहती है। यह केवल खबरों का संकलन नहीं, बल्कि उस भाषा की ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाओं की रिपोर्टिंग के साथ-साथ उस भाषा की साहित्यिक अभिव्यक्ति भी समाहित होती है। इस प्रकार, यह पत्रकारिता न केवल सूचना का प्रसार करती है, बल्कि उस भाषा से जुड़ी संपूर्ण अस्मिता को सहेजने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इन संघर्षों के बीच सिंध में छापने वाला 'रोज़ाना हिंदू' अख़बार जिसका नाम 1946 में बदलकर 'हिंदुस्तान' कर दिया गया था वह बाद में मुंबई शहर से छपने लगा। साथा ही मुंबई से निकलने वाला 'संसार समाचार' जो पहले तो बहुत प्रचलित हुआ पर बाद में जल्द ही कई मुश्किलों के चलते बंद हो गया।[10] 1916 में शुरू हुई प्रतिष्ठित पत्रिका 'हिंदवासी', स्वतंत्रता के बाद मुंबई से पुनः साप्ताहिक रूप में प्रकाशित की जाने लगी, जो आज भी निरंतर प्रकाशित हो रही है। आज़ादी के बाद भारत के कुछ युवा साहित्यकार और पत्रकारों ने मिलकर "सिंधू संसार" अख़बार निकाला, परंतु उसे महज़ तीन वर्ष ही चला सके।

वर्तमान समय में, सर्वाधिक समाचार-पत्र प्रकाशक राजस्थान प्रांत में हैं, यहां प्रकाशित होने वाला 'हिंदू' राष्ट्रीय स्तर पर वितरित होने वाला दैनिक समाचार पत्र है। जिसे अजमेर में वरियाणी परिवार तीन पीढ़ीयों से संचालित कर रहा है। दूसरे स्थान पर गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश आते हैं। गौरतलब है कि पिछले 75 वर्षों में पाठकों की लगातार कमी और वित्तीय चुनौतियों के कारण कई समाचार पत्र दुर्भाग्यवश बंद हो गए हैं।

अब यदि वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो इसकी स्थिति चिंताजनक दिखाई देती है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय (Registrar of Newspapers for India - RNI) द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में, देश में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की संख्या, भाषा आधारित वितरण और प्रिंट मीडिया के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े

प्रस्तुत किए जाते हैं। 66वीं वार्षिक रिपोर्ट के तीसरे अध्याय की तालिका 3.1 के अनुसार, सिंधी भाषा में 18 प्रकाशन थे जिन्होंने 2021-22 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए, जिनमें 8 दैनिक अख़बार शामिल थे।[11] भारत में जहाँ कई भाषाओं में बड़ी संख्या में दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, वहीं सिंधी भाषा के दैनिक समाचार पत्रों की संख्या एकल अंक तक सीमित रह गई है।

स्वतंत्रोत्तर भारत में सिंधी प्रिंट मीडिया की मुख्य चुनौतियां-

1. सिंधी का मूल रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में ना होना- भारत में बोली जाने वाली जिन प्रमुख भाषाओं को मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, उनमें सिंधी भाषा नहीं थी। सिंधी भाषी भारत में रहते हैं, इसका संवैधानिक संकेत केवल राष्ट्रगान में 'सिंध' शब्द के प्रयोग से मिलता था।[12] संघर्ष और आंदोलन के लंबे दौर से गुजरने के बाद 10 अप्रेल 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में, पंद्रहवीं भाषा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में लगभग दो दशकों तक सिंधी भाषा विशेष संवैधानिक अधिकारों से वंचित रही, उसे वे अवसर प्रदान नहीं हुए जो किसी अनुसूचित भाषा को मिल सकते थे। आज़ादी के बाद आरंभिक दो दशक जो सिंधी प्रिंट मीडिय की दशा और दिशा तय कर सकते थे वहीं उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए लंबे आंदोलन करने पड़े। इसका एक प्रभाव प्रिंट मीडिया पर भी पड़ा।

2. लिपि पर दो मत - सिंधी भाषा की मूल लिपि को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हमेशा से बना रहा है। आज़ादी से पूर्व भी लंबे समय से हिंदू समुदाय का एक बड़ा वर्ग इस भाषा की लिपि के रूप में देवनागरी के पक्ष में था, जबकि मुस्लिम समुदाय अरबी-फ़ारसी लिपि के समर्थन में दिखाई देता रहा। लिहाज़ा आज़ाद भारत में विभाजन के बाद आए सिंधी हिंदूओं की एक सभा (सिंधी साहित्य सभा) ने दिसंबर 1948 को मुंबई के अपने सम्मेलन में देवनागरी को सिंधी की लिपि के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर 9 मार्च 1950 को तत्कालीन भारत सरकार ने सिंधी भाषा के लिए देवनागरी का इस्तेमाल करने के आदेश दिए।

सरकार के इस फैसले के विरुद्ध अनेक शिक्षाविदों और समाज के प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों ने गहरा असंतोष एवं विरोध प्रकट किया। उनका मानना था कि भाषा और लिपि का चयन केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यदि सिंधी की अरबी-फारसी लिपि को छोड़ दिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियाँ वर्षों से अरबी-फ़ारसी लिपि में संचित साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर से वंचित रह जाएँगी। परिणामस्वरूप, सरकार ने 10 जनवरी 1951 को दूसरा आदेश जारी करके दोनों लिपियों को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार लिपि के प्रश्न पर समाज दो खेमों में विभाजित रहा जिसका प्रभाव सिंधी भाषा में प्रिंट मीडिया पर आज भी साफ़ दिखाई देता है।

3. क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव- भारत के अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की भाषाई विविधता इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है, लेकिन यही विविधता प्रवासी समुदायों के लिए कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करती है। विभाजन के पश्चात सिंधी समाज किसी विशेष प्रांत में न रहकर, भारत के अलग-अलग राज्यों में जाकर बसने लगा। ऐसे में स्वतंत्र भारत में जन्मे बच्चे जिस प्रदेश में थे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आते गए। परिणामस्वरूप, नवीन पीढ़ी ने उन्हीं भाषाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अन्य भाषाओं में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि की सहज उपलब्धता ने उनकी अभिरुचि को उसी दिशा में मोड़ दिया, जिससे वे धीरे-धीरे वहीं की भाषाओं में समाचार पढ़ने के अभ्यस्त होते गए। यह भाषाई परिवर्तन सिंधी प्रिंट मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा।

4. भाषाई साक्षरता- आज भारत में सिंधी भाषा की जड़ें समय के प्रवाह में धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं। परिवारों में मातृभाषा बोलने का चलन घट रहा है, और इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि जिन परिवारों में सिंधी भाषा बोली जा रही है, वहां उसे पढ़ने और लिखने वालों की संख्या और भी न्यून होती जा रही है। यह स्थिति न केवल भाषाई विरासत के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है, बल्कि प्रिंट मीडिया के भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। इस स्थिति में, यदि समाचार पत्र प्रकाशित भी किए जाएं, तो पर्याप्त पाठकों का अभाव उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देगा।

आगे की राह- इन तमाम चुनौतियों के साथ, आज भी सिंधी प्रिंट मीडिया लगातार संघर्ष करते हुए अपने वजूद को बचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कई सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे इस दिशा में व्यापक और स्थायी प्रभाव देखने को मिल सकेंगे। ऐसे कुछ प्रयास जो इस क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं अथवा कर सकेंगे, वे इस प्रकार हैं-

- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT), शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में तैयार की जा रही त्रिभाषी (अंगेज़ी-हिंदी-सिंधी) तकनीकी शब्दावली इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। गत वर्ष सिंधी भाषा में तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य प्रोफेसर डॉ. हासो दादलानी जैसे वरिष्ठ शिक्षाविद एवं भाषा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया।[13] यह सिंधी भाषा की पत्रकारिता में हर विषय के तकनीकी शब्दो को लेकर एक प्रकार का मानक रूप प्रदान करेगी। इससे सिंधी भाषा में समाचार सामग्री (news content) के अनुवाद संबंधी समस्या का समाधान हो सकेगा। इसका सीधा प्रभाव समाचार पत्रों की गुणवत्ता पर भी दिखाई देगा। यदि समाचार पत्रों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, तो वे निश्चित ही पाठकों का अधिक विश्वास और व्यापक समर्थन प्राप्त कर पाएंगे एवं समय के साथ मुख्यधारा की प्रतिस्पर्धा में भी प्रभावी रूप से स्थान बना सकेंगे।
- फरवरी 2024 में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात एवं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (NCPSL) के संयुक्त तत्वाधान से शुरू किया गया कोर्स "Basic Course on Sindhi Journalism" इस दिशा में सराहनीय कदम है। इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉ. तम्ना लालवानी ने बताया कि यह कोर्स ऑनलाइन माध्याम से सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। भाषा और पत्रकारिता में रुची रखने वाले बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम सिंधी प्रिंट मीडिया की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष पेशेवरों को तैयार करने में भी सहायक सिद्ध होंगे तथा भविष्य की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
- नई शिक्षा नीति (NEP-2020) भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। नई शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा देने का प्रावधान करती है। इससे नई पीढ़ी, जो अंग्रेज़ी के प्रभाव में आकर अपनी मातृभाषा से अलग हो गई थी, उसे पुनः अपनी जड़ों की तरफ मोड़ा जा सकेगा। इसे सिंधी प्रिंट मीडिया को भी एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है।
- आधुनिक समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। ऐसे में इस तकनीक की सहायता से प्रिंट मीडिया अपनी सामग्री को और अधिक प्रासंगिक बना सकेगी। तकनीक के इस युग को हमें किसी चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक सुनहरे अवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि हम नवीनतम तकनीकों में दक्षता प्राप्त करें और उचित प्रशिक्षण लें, तो न केवल इसके प्रभावों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, बल्कि इसे अपने पुनरुत्थान का माध्यम भी बना सकते हैं।
- भाषा संबंधी संवैधानिक जागरूकता का प्रसार करना होगा। संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों और भाषाओं को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। सिंधी भाषा की प्रिंट मीडिया, भाषाई रूप से अल्पसंख्यक होने के नाते सरकार की किस सहायता का लाभ ले सकेगी, इसकी जागरूकता का होना

भी आवश्यक है। निश्चित रूप से, जब हम किसी विषय का क्रमबद्ध एवं तार्किक विश्लेषण करते हैं तभी हम उसके संभावित भविष्यगामी उपायों पर गंभीर एवं सार्थक चिंतन करने में सक्षम होते हैं। ऐसा चिंतन केवल वैचारिक मंथन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे उत्पन्न उपाय व्यावहारिक और प्रभावशाली परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, सिंधी प्रिंट मीडिया के विषय पर पूर्ण गंभीरता से विचार करना होगा एवं ऐसे ठोस समाधान प्रस्तुत करने होंगे जिससे वास्तविक परिवर्तन संभव हो सके।

संदर्भ स्त्रोत-

[1] Cencus of India-2011, language report, statement 4, pg-15

[2] सिंधु, सिंधी समाज ऐं सिंधी साहित्य जो इतिहास; लेखक- डॉ. सुरेश बबलाणी, pg-26

[3] सिंधी साहित्य जो मुख़्तसर इतिहासु; लेखक- डॉ. कन्हैयाला लेखवाणी, pg-153

[4] सिंधी सहाफ़त जी तारीख़ ऐं इर्तिका' (Evolution and History of Sindhi Journalism); डॉ. अज़ीज़-उल-रहमान, pg-38

[5] सोरहं मील; डॉ. सुरेश बबलाणी, pg-103

[6] सिंधी साहित्य के विविध आयाम; प्रथम संस्करण, लेखक- डॉ. मुर्लिधर जेतली, pg-127

[7] सिंधी बोलीअ जो सिरिश्तो ऐं लिखावट; लेखक- डॉ. मुर्लिधर जेतली, pg-172

[8] सिंधी बोलीअ जो सिरिश्तो ऐं लिखावट; लेखक- डॉ. मुर्लिधर जेतली pg-191

[9] साहित्य सिंधू (NCPSL) अंक-3; वर्ष 2022-23, लेख- प्रो. रमेश लूहाणा, pg-62-63

[10] सिंधी सहाफ़त जी तारीख़ ऐं इर्तिका' (Evolution and History of Sindhi Journalism); डॉ. अज़ीज़-उल-रहमान, pg-665

[11] Press in India, 66th Annual Report; Vol-1, pg-378

[12] सरस्वती सिंधु सभ्यता; सं. डॉ. सुरेश बबलाणी, लेखक- भगवान अटलानी, pg-492

[13] दैनिक भास्कर अजमेर; दिनांक 7-08-2024